न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–588/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00046)

1. हीरालाल पुत्र श्री डालू राम यादव, जाति यादव, निवासी वार्ड नम्बर 16 भूरपहाड़ी, किशनगढबास, तहसील व थाना किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर जिला अलवर, राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 19.02.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर के आदेश दिनांक प.21–12(788)/न्याय/2012/11779 दिनांक 10.10.2012 से असंतुष्ट होकर आर्म्स एक्ट की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट विपक्षी के समक्ष दिनांक 30.12.2011 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कमिश्नर ऑफ पुलिस आर्म्स विभाग, बॉम्बे से अपीलान्ट के नाम से जारी आर्म्स लाईसेन्स नम्बर बी.ओ./767/सितम्बर/1995 जिस पर 12 बोर एकनाली बन्दूक संख्या बीई/141/1994 का इन्द्राज दर्ज है एवं जिस पर जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर राजस्थान द्वारा क्रमांक जेपीआर/3683/बीएल/विविध पर दिनांक वर्ष 2000 से दिनांक 31.12.2011 तक समय–समय पर नवीनीकरण किया गया, उक्त आर्म्स लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु निवेदन किया गया, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् विपक्षी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक अलवर से प्रार्थी के आचरण व तहसीलदार किशनगढबास से वर्तमान निवास की पुष्टि करायी गयी जिस पर पुलिस अधीक्षक अलवर द्वारा प्रार्थी के आचारण के सम्बन्ध में कोई विपरित टिप्पणी नही की गई तथा तहसीलदार किशनगढबास द्वारा प्रार्थी का वर्तमान निवास निवासी किशनगढबास अवगत करवाया गया, उपरोक्त समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति होने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा अपीलान्ट का लाईसेन्स नवीनीकरण प्रार्थना पत्र गलत व आधारहीन तथ्यों पर खारिज कर दिया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विपक्षी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण व समुचित अवसर प्रदान नही

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

किया व अपीलान्ट द्वारा उपलब्ध करवाये गये तथ्यों व दस्तावेजों को सही प्रकार से अपने विचारण में नही लेकर विवादित आदेश पारित करने में तथ्यात्मक व कानूनी त्रुटि कारित की है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट का आर्म्स लाईसेन्स समय--समय पर नवीनीकृत किया जाता रहा है एवं अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी प्रकार के दुराचरण की एवं शस्त्र दुरूपयोग की कोई शिकायत नही रही है, मात्र अपीलान्ट के स्थायी निवासी के पते के आधार पर तकनीकी रूप से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट भारतीय नौसेना से सेवानिवृत एक्स सर्विसमेन भूतपूर्व सैनिक है तथा तहसील किशगनढबास जिला अलवर का स्थायी निवासी है तथा अपीलान्ट के सेवानिवृत होने के उपरान्त अपीलान्ट द्वारा अलग–अलग जिलों व स्थानों पर अपनी सेवायें देता रहा है तथा इसी करण अपीलान्ट की जहॉ पर भी उसकी नियुक्ति रही है वहॉ पर अस्थायी रूप से निवास करना पड़ता है तथा ऐसी सूरत में अपीलान्ट के पते एवं निवास के सम्बन्ध में वोटर कार्ड आदि में परिवर्तन करवाया जाना संभवन नही हो पाता है क्योंकि प्रार्थी का सेवा नियुक्ति स्थान पर प्रवास अस्थायी प्रकृति का होता है, विपक्षी द्वारा उक्त तथ्यों को भी अपने विचारण में नही लिया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विपक्षी द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में जो तथ्य अंकित किये है वे पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि मूल लाईसेन्स प्राधिकारी से सत्यापन प्राप्त नही होने की स्थिति में विपक्षी को पुनः मूल लाईसेन्स प्राधिकारी को पत्र लिखा जाना चाहिये था चूँकि अपीलान्ट के मूल लाईसेन्स पर सब्सीक्वटली नवीनीकरण किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के मूल लाईसेन्स पर किसी का कोई संदेह किया जाना तथ्यात्मक रूप से व कानूनी रूप से उचित नही है। उन्होने कथन किया है कि लाईसेन्स का सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर नवीनीकरण कर दिया गया है, ऐसी सूरत में मूल लाईसेन्स के सत्यापन प्राप्त नही होने के आधार पर लाईसेन्स नवीनीकरण नही किया जाना व प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना विधि विरूद्ध व तथ्यात्मक रूप से विपरित होने के कारण कतई पोषणीय नही है। उन्होने आगे कथन किया हे कि विपक्षी द्वारा विवादित आदेश में यह उल्लेख किया हे कि प्रार्थी के जयपुर जिले में निवास नही होने के बावजूद धारा 51 बी का उल्लंघन कर अनुज्ञा पत्र का वर्ष 2000 से 2011 तक नवीनीकरण करवाया हुआ है उक्त निष्कर्ष विपक्षी द्वारा किसके आधार पर निकाला गया इसका कोई विवरण अपने अपीलाधीन आदेश में अंकित नही किया है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट का उक्त निष्कर्ष आधारहीन है क्योंकि अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करते समय प्रार्थी के निवास व आचारण की पुष्टि नवीनीकरण पदाधिकारी द्वारा की गई थी, विपक्षी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की अनुज्ञप्ति के वर्ष 2000 से 2011 के नवीनीकरण आदेश को धारा 25 बी का उल्लंघन अंकित कर तथ्यात्मक व कानूनी त्रुटि कारित की है तथा रेस्पोडेन्ट का उक्त निष्कर्ष अपीलान्ट के पूर्व अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के आदेश को रिव्यू किये जाने के समान है, जो कि रेस्पोडेन्ट

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

की अधिकारित से परे है तथा पूर्व में अनुज्ञप्ति वर्ष 2000 से 2011 के अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस बाबत कोई आक्षेप व आपत्ति नही की है इसलिये विपक्षी रेस्पोडेन्ट द्वारा मात्र काल्पनिक व आधारहीन रूप से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक प.21–12(788)न्याय/2012/11779 दिनांक 10.10.2012 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा प संख्या (बीअसे/767/सितम्बर/95)JPR/3683/BL/Mise का नवीनीकरण करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि लाईसेन्स प्राधिकारी से सत्यापन की पुष्टि नही होने एवं कमिश्नर ऑफ पुलिस मुम्बई को बार–बार लिखे जाने पर भी सत्यापन प्राप्त नही होने पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.12 पारित किया गया जबकि लाईसेन्सी प्राधिकारी से सत्यापन प्राप्त नही होने पर अपीलान्ट को दोषी नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रट, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक प.21–12(788)न्याय/2012/11779 दिनांक 10.10.2012 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर एवं कमिश्नर आफ पुलिस, मुम्बई से सत्यापन कराया जाकर तथा अपीलान्ट को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।